

as directed by me. So, this is not a beginning today. Shri Vikramjit Singh Sahney. ...(*Interruptions*)...

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Sir, I would like to raise an issue...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Mr. Sahney, one minute, please! ...(*Interruptions*)...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, this has been the practice for such a long time, for 60-70 years. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: What are you saying? ...(*Interruptions*)... Sit down first. ...(*Interruptions*)... One at a time, please. Yes!

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, 2.30 p.m. was fixed for the purpose of Muslim Members for their *jumma* on Fridays. It was the practice.

RULING BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Okay. I got your point. ...(*Interruptions*)... Sit down. I am addressing the issue. Hon. Members, both Lok Sabha and Rajya Sabha have Members drawn from all sections of the society. Lok Sabha sits at 2 p.m. There are Members from every segment. Consciously, after due deliberation, I had effected it, indicated to the House and this was already in place in the last Session. It was stated that the House will meet after lunch at 2 p.m. being in conformity with the timeframe indicated by Lok Sabha. Now, Mr. Vikramjit Singh Sahney. Your time starts now. You don't lose your time.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand to implement a Uniform National Level Parameter for release of prisoners

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Hon. Chairman, Sir, I would like to raise a very important issue which has been a heartburn for the Sikh community since

decades because justice delayed is justice denied. As you are aware, there is an ongoing political and legal movement in Punjab at large to seek remission of life sentences handed to Sikh political prisoners which were predominantly during the militancy era. The issue is complex and multi-faceted one, rooted in historical, political and legal considerations and, at the heart of the matter, are cases of individuals who were arrested and imprisoned in connection with various incidents during militancy in Punjab.

सिख कैदियों को लम्बे समय तक जेल में रखने से भारतीय न्याय प्रणाली की निरपेक्षता पर चिंता हो रही है, because justice delayed is justice denied. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बिलकिस बानो केस में 15 साल की completion पर ही धिनौना जुर्म करने वाले अपराधियों को रिहा कर दिया गया। श्री राजीव गांधी जी के assassins को भी तीस साल के बाद रिहा कर दिया गया। धिनौने जुर्म करने वालों को आपके सामने frequent parole दी जा रही है।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

मेरी humble submission है कि there should be uniform national level parameter or policy because भारत एक देश है और देश के प्रांतों में different policy नहीं हो सकती कि कोई धिनौना जुर्म करे और 15 साल में ही कोर्ट में remission हो जाए or while deciding the premature release so that uniformity is maintained.

Sir, I would like to draw your attention, 11 अक्टूबर, 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ prisoners को रिहा करने का सर्कुलर निकाला गया और ऐसे बहुत से लोग मानसिक तौर पर गम्भीर बीमारियों का शिकार हैं, उनमें सरदार गुरदीप सिंह खेड़ा, देविंदर सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजोआना, जिनकी डेथ सेंटेंस ऑलरेडी life imprisonment में convert हो गई है as per the letter of 11 October, 2019 which I am laying on the Table of Parliament, लेकिन वह implement नहीं हुई, ये जो सिख बंदी हैं, पंजाब में एक movement चल रही है, पंजाब की शांति और सद्भावना के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जिन सिख बंदियों ने 30 साल, 32 साल गुज़ार लिए हैं, उनका कन्डक्ट ठीक है। Many of them are facing serious physical and mental health issues; so, release of Bandi Singhs would be a necessary step in addressing historical injustice as means of fostering reconciliation and social healing in Punjab. मैं भारत के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही एक हाई पावर कमिटी बनाकर इन केसेज़ का review करके इनका निर्वहन किया जाए। जो सिख बंदी 30 साल से वहां हैं,

"सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत।
पुरजा-पुरजा कट मरै, कबहूँ न छाड़े खेत।"

श्री उपसभापति : आपके बोलने का समय खत्म हो गया है। माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी जी आपके पास सिर्फ तीन मिनट का समय था।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Vikramjit Singh Sahney: Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla and Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh).

Now, Shri Sakaldeep Rajbhar, 'Need to create job opportunities for youth by establishing different industries in the State of Bihar.'

Need to create job opportunities for youth by establishing different industries in the State of Bihar

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, आज हम इस अमृतकाल में बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि यहां के माननीय जयप्रकाश नारायण जी, देश के पूर्व प्रधान मंत्री चंद्र शेखर जी, देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी एवं चित्तू पांडेय, मंगल पांडे और वीर कुंवर सिंह आज के अनेक अमर शहीद, जिन्होंने बलिया को सबसे पहले लड़ कर आज़ाद कराया। जहां गंगा और सरस्वती नदियों का संगम होता है, ऐसा क्षेत्र आज विकास विहीन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी क्षेत्र एवं कुछ झारखंड के क्षेत्र में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी कोई फैक्टरी या कारखाना अथवा भारी उद्योग नहीं है। कोई देश-विदेश से निवेश करने वाला भी नहीं है। यह बिल्कुल ही पिछड़ा व अनदेखा क्षेत्र है। आज स्थिति यह है कि उक्त क्षेत्र के शिक्षित-अशिक्षित बेरोज़गार नौजवान अपनी गरीबी की वजह से अपना पेट पालने, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए देश के मेट्रो शहरों में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पंजाब एवं हरियाणा के अनेक शहरों में जीविकोपार्जन के लिए रोज़गार की तलाश के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर बाहर जाता है। यही नहीं, वह अपने बाल-बच्चों को 2-2, 3-3 साल के लिए परिवार से नाता तोड़कर कुछ पैसा कमाता है और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजता है, लेकिन वह यह नहीं जान पाता है कि उसके बाल-बच्चों की पढ़ाई-लिखाई या भरण-पोषण ठीक-ठाक हो रहा है अथवा नहीं। परिवार से लगाव टूटने की वजह से बाल बच्चों की शिक्षा-दीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है और उसके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रह जाते हैं। भुखमरी और बेरोज़गारी का अंदाज़ा तब लगता है, जब ट्रेन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से शहरों की ओर जाती है। माननीय महोदय, ऐसी सूरत में अविकसित और विषम परिस्थितियों को देखते हुए इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि उनके क्षेत्र में कल-कारखाना, फैक्टरी, मिल या कोई भारी उद्योग होता, तो वहां के नौजवानों को मेट्रो शहरों में